

फिककी की 86वीं वार्षिक आम बैठक के दोपहर के सत्र में मेरे संबोधन के कुछ प्रमुख बिन्दु

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। अर्थव्यवस्था के लेकर भले ही अफरातफरी न हो लेकिन उसके बारे में परेशानी का भाव तो है। उद्योग चाहता है कि चीजें आगे बढ़ें। एक साल पहले हम सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि नीतिगत निर्णयों को जैसे लकवा मार गया है। इस तरह की बातें पहली बार हो रही थीं। हर किसी को उम्मीद थी कि आनेवाले दिनों में स्थिति बेहतर हो जायेगी। आर्थिक मोर्चे पर नाकामयाबी पर कोई बहानेबाजी नहीं हो सकती। जो सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल रहती है वही बहानेबाजी करती है।

केंद्र की सरकार बहानेबाजी करती है कि संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है और महत्वपूर्ण विधेयक सहमति के अभाव में अटके पड़े हैं। लेकिन वह कभी अपने अंदर झाँकने की कोशिश नहीं करती है कि वास्तव में समस्या क्या है। अर्थव्यवस्था के लिये दस में से नौ उपाय ऐसे हैं जिसके लिये कानून बनाने की जरूरत नहीं हैं। वे कार्यकारी निर्णय हैं जो प्रशासनिक दायरे में हैं। इस तरह कार्यपालिका उन्हें पूरा करने में सक्षम है। मैं समझता हूं कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां आगे स्थिति और नहीं बिगड़ेगी बशर्ते हमें उन्हें सुधारना हो। हम ऐसे ही दौर का इंतजार कर रहे हैं जब चीजें बेहतर हो जायें।

लोग आर्थिक उपायों के बारे में चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि भाजपा एवं एनडीए क्या कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक एनडीए का सवाल है किसी को शक नहीं है कि वह देश को कहां तक पहुंचाना चाहती है। आज सरकार के निर्णय लेने की क्षमता को लेकर चिंता है। सरकार को पता है कि किस रास्ते आगे बढ़ना है। उसे कार्यक्रमों का पता है कि किस रास्ते जाना है। हमारे देश में 40 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। कुशासन के बाद भी हमारी विकास दर 8 से 9 प्रतिशत रही। और अगर खराब शासन के बाद भी हमने इतना अच्छी स्थिति पैदा की तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि बेहतर शासन के बाद हम कितना बेहतर कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी हैं। गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इन वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। गुजरात लंबे अर्से से विकास कर रहा है लेकिन मध्यप्रदेश जिस पर बीमारु राज्य का कलंक लगा हुआ था, उसने हाल में ही खुद को इससे मुक्त किया और उसकी विकास दर दहाई के आकड़ों में दर्ज हो चुकी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने बहुत निचले स्तर से प्रगति की है लेकिन कोई इस हकीकत को नहीं झुठला सकता है कि वह सारी स्थिति को बदलने में सफल रहा है। सफलता की इस कहानी के पीछे सुशासन मूल मंत्र है।

हर किसी को इस बात का ईमानदारी से आकलन करना होगा कि भारत में कहां गडबड़ी हुई है। किसी को भी पहला पाठ समझना होगा कि भारत किसी गैर राजनैतिक को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं ढो सकता। प्रधानमंत्री का पद कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में राय इस आधार पर नहीं बनाई जा सकती कि उन्होंने कार्यालय में कितने वर्ष गुजारे हैं। जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, उनके बारे में राय हमेशा यह देखकर बनती है कि उन्होंने इसे क्या दिशा दी है। और अगर इस बारे में राय बनानी है तो प्रधानमंत्री शब्द सरकार में अंतिम शब्द होना चाहिए। प्रधानमंत्रियों को देश का स्वाभाविक नेता होना चाहिए, निश्चित रूप से वे अपनी पार्टी और सरकार के होते हैं। प्रधानमंत्री को कभी लाचार नहीं दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री यह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप इस तरह की स्थिति पर पहुंच जाते हैं तो आप सरकार पर अपना हक जताने में सक्षम नहीं हो सकते। अतः भारत को यह समझना होगा कि सत्ता के दो अलग—अलग केन्द्रों में राजनैतिक और कार्यकारी अधिकारियों का प्रयोग अब काम नहीं करेगा। एक कार्पोरेट इस तरह के मॉडल पर चल सकता है जहां निदेशक मंडल जहां बैठता है, अधिकार वहां होते हैं और भाड़े का सीईओ कंपनी चलाता है और बोर्ड को जानकारी देता है। इस तरीके से कार्पोरेट को चलाया जा सकता है लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आप इस तरह नहीं चला सकते।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा उद्देश्य उच्च विकास दर हासिल करना होना चाहिए ताकि समृद्ध सरकार के पास गरीबों के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए आप केवल संभावित लोकप्रियता पर भरोसा नहीं कर सकते।

तीसरा महत्वपूर्ण पाठ भारत की छवि के बारे में है। छवि केवल उद्धत राष्ट्रवादी बयानों पर निर्भर नहीं करती। छवि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम कैसे शासन कर रहे हैं। अगर हमारी छवि नीतियों को लकवा मारने जैसी अथवा ऐसी छवि है जहां हम अपनी राज्य सरकारों में विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से वर्तमान सरकार की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च हो रहा है, इसके बाद हम अच्छी प्रगति नहीं कर सकते। कुछ राज्य महसूस करते हैं कि वह ठीक से काम नहीं कर सकते अगर केन्द्र में पक्षपाती सरकार हो। यह ऐसी सरकार नहीं है जो निष्पक्ष हो। चुनावों में करारी हार से असंतुष्ट सरकार एक राज्य के खिलाफ जांच आयोग बैठाना चाहती है। यह सरकार राज्यों के साथ पक्षपात करती है और इसके कारण ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है जिसमें राज्य प्रभावकारी तरीके से काम कर सकें। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अगर हम हमेशा राजनैतिक मनमुटाव में लगे रहेंगे तो हम आर्थिक विकास के लिए आम सहमति नहीं बना सकते। यह भविष्य में सभी सरकारों के लिए एक सबक है कि भारत एक संघीय शासन व्यवस्था है। राज्यों में हमेशा अन्य राजनैतिक दलों की सरकारें रहेंगी। आपको उस जनादेश को स्वीकार करना होगा और उन्हें काम करने देना होगा तथा सांस लेने की जगह देनी होगी। आपको यह समझना होगा कि राजनीति में अहंकार व्यर्थ है। जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उस समय आपको मिलने वाले लोग, वही हो सकते हैं जो आपके पतन के

समय आपको मिले हों। केवल भावी पीढ़ियां देख सकती हैं कि विरोधियों पर किसने विजय पाई। मुझे याद है कि किस तरह लोकपाल विधेयक पर मेरे सुझावों को 29 दिसम्बर 2011 को दरकिनार कर दिया गया था और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी लेकिन चुनाव परिणाम आने के केवल दो दिन बाद, लोक पाल विधेयक पर सदन में दिए गए मेरे सुझावों को लिखित संशोधनों के बिना स्वीकार कर लिया गया। राजनैतिक कैलेंडर में अंतिम अवसर नाम की कोई चीज नहीं होती। राजनैतिक व्यवस्था से निपटने का एक खास तरीका होता है। पहले इसे अपनाया जाता रहा है। मुझे याद है कि श्री पी. वी. नरसिंह राव और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कितने सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध थे।

राजनैतिक परिवर्तन की हवा दिखाई दे रही है। जहां तक भारत की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह निवेश चक्र को पुनर्जीवित किया जाए। मैं समझता हूं कि यदि हमें इसे पुनर्जीवित करना है, तो भारत के आर्थिक निर्णय लेने वालों को विश्वसनीय होना होगा। वर्तमान सरकार शासन करने की इच्छा शक्ति खो चुकी है। उसे पराजय के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। वह अब केवल परेशानियों से घिरी सरकार नहीं रह गई है, बल्कि उसे असफलता निश्चित दिखाई दे रही है। हम देश में राजनैतिक परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। बेहतरी के लिए परिवर्तन और परिवर्तन जरुरी है और अब यह सभी भारतीयों के अधिकार का मुद्दा रह गया है।